भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला

(आदेश–फलक)

भूमि वापसी वाद संख्या–26 / 2017–18

केस का प्रकार :– भू वापसी

लछु उरांव, पिता–स्व0 शिवु उरांव ..... आवेदक

–बनाम–

सतीस दास, पिता–स्व0 मोती राम दास .....विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई

06·08·2020

यह वाद श्री लछु उरांव, पिता–स्व0 शिवु उरांव, निवासी ग्राम–ईचड़ा, थाना–जादुगोड़ा, अंचल–मुसाबनी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, मुसाबनी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, मुसाबनी के पत्रांक–174, दिनांक–19 / 02 / 2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में श्री सतीस दास, पिता–स्व0 मोती राम दास को विपक्षी बनाते हुए वाद प्रारम्भ की गयी। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। विवादित भूमि का विवरणी निम्न प्राकर है:–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
ईचड़ा	1103	220	494	0.12 ए0

उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से दिनांक–27 / 06 / 2019 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में विपक्षी का नाम छतिस दास, पिता–अज्ञात के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। अंचल अधिकारी, मुसाबनी ने भी जाँच प्रतिवेदन में विपक्षी का नाम छतिस दास, पिता–अज्ञात प्रतिवेदित किया गया है। इसलिए अभिलेख प्रारम्भ करने के समय विपक्षी का नाम छतिस दास, पिता–अज्ञात के नाम दर्ज किया गया है। परन्तु विपक्षी अपना उपस्थिति सतीस दास, पिता–स्व0 मोती राम दास के नाम पर अपना उपस्थिति दर्ज की गयी है। तदनुसार अंतिम आदेश पर विपक्षी का नाम सतीस दास, पिता–स्व0 मोती राम दास अंकित किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता

द्वारा दायर लिखित बहस में उल्लेख है कि हाल सर्वे 1964 के खतियान में शि
उरांव, रामचरण उरांव, मोदी उरांव, तथा पूर्ण उरांव, पिता–धारमु उरांव के नाम
पर विवादित भूमि दर्ज हैं, जो आवेदक के पिता हैं। प्रशनगत भूमि विपक्षी के द्वारा
वर्ष 2008 से छल–परपंच एवं धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध रूप से एवं जबरन
कब्जा किये हुए है। अतः आवेदक छोटानागपुर काश्तकरी अधिनियम–1908 की
धारा–71(A) के तहत प्रश्नगत भूमि को भू–वापसी (Restore) करने का अनुरोध
किया गया हैं।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कारण–पृच्छा में उल्लेख है
कि यह वाद आवेदक श्री लछु उरांव के आवेदन पत्र के आलोक में प्रराम्भ किया
गया है। यह वाद विपक्ष के खिलाफ मिथ्या दायर किया गया हैं तथा विधि सम्मत
तरीके में तथा तथ्यात्मक बिन्दुओं पर कोई सत्यता नहीं है। विपक्षी द्वारा
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का किसी भी प्रकार से उलंघन
नही किया गया है। विवादित भूमि मौजा ईचड़ा, थाना नं0–1103, खाता नं0–220,
प्लॉट नं0–494, रकवा–0.12 एकड़ से संबंधित है। पूर्व में सरकार द्वारा श्री के0
कोच्चापू केशवन, पिता–स्व0 के0 कोच्चापू को वासगीत पर्चा निर्गत किया है
जिसका विविध वाद संख्या–07/1993–94 है, और जमाबंदी भी उनके नाम पर
ही चल रहा है। प्रश्नगत भूमि विपक्षी के द्वारा बिक्री केवाला संख्या–3233,
दिनांक–12/08/1996 के माध्यम से के0 कोच्चापू केशवन, पिता–स्व0 के0
कोच्चापू से मात्र राशि– 30,000.00 (तीस हजार) रूपये में खरीद किया गया है।
उसमें से 200 **S.q. fitt** का कच्चा खापरपोस घर के साथ 4 कट्टा जमीन को
बेचा गया तथा उतना ही जमीन का खरीद भी किया गया है। उक्त भूमि पर
विपक्षी बिना किसी प्रकार के विवाद के निवास करते आ रहा है। इसलिए
आवेदक का आवेदन को खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, मुसाबनी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उभय पक्षों के विद्वान
अधिवक्ता को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का
अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहँचता है कि विवादित भूमि वर्ष
1964 के हाल सर्वे खतियान में अनुसूचित जनजाति के सदस्य शिवु उरांव, राम
चरण उरांव, मोदी उरांव तथा पूर्ण उरांव, पिता–धरमु उरांव के नाम पर दर्ज हैं।
आवेदक खतियानी रैयत के पुत्र है। उक्त विवादित भूमि पर विपक्षी अवैध रूप से
दखलकार है। आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं तथा विपक्षी अनुसूचित

जनजाति का सदस्य नहीं है। साथ ही विपक्षी के पास 3,00,000.00 (तीन लाख) रूपये का कच्चा मकान बनाया हुआ है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा आवेदक की जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 का उल्लंघन कर अवैध रूप से दखल किया गया है।

अतः छोटानागपुर काश्तकरी अधिनियम–1908 की धारा 71(A) के तहत आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–ईचड़ा, थाना नं0–1103, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–494, रकवा–0.12 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष को वापस करने हेतु द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है तथा अंचल अधिकारी, मुसाबनी को निदेश दिया जाता है कि उक्त भूखण्ड के खाली भू–भाग को सात दिनों के अंदर एवं निर्मित संरचना छः माह के अंदर हटाकर भूमि प्रथम पक्ष को दखल दिलाकर न्यायालय में प्रतिवेदन दें। तदनुसार अंचल अधिकारी, मुसाबनी को दखल दिहानी परवाना निर्गत करें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–06../08../2020 को पारित किया जा रहा हैं।

यदि पारित आदेश के विरुद्ध किसी को अपत्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

06/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

06/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।